

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय, बिहार वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना - 800 001

Office of The Principal Accountant General (Audit), Bihar

Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Telephone: 0612-2221226, Email:agaubihar@cag.gov.in



No. Admn.-I (Au.)/CEA&CRA/2025-26/B-56

दिनाक: . 95.12.2025

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

कार्यालय आदेश संख्या B-53 दिनांक 26.11.2025, जिसके द्वारा केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा (CEA) और केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा (CRA) के लिए केंद्रीकृत कैडरों की व्यवस्था से संबंधित निर्देश जारी किए गए थें, के क्रम में, मुख्यालय कार्यालय ने CEA एवं CRA कैडर सृजन से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQS) परिपत्र संख्या 45-StaffWing/2025 No.1141-Staff(Appt.III)/167-2025 दिनांक 03.12.2025 के माध्यम परिपत्र संख्या 45-StaffWing/2025 No.1141-Staff(Appt.III)/167-2025 दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से जारी किए हैं जो सभी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (जिनमें वे अधिकारी भी शामिल हैं जो अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं) को इस निर्देश के साथ प्रसारित किया जा अधिकारी भी शामिल हैं जो अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर हैं) को इस निर्देश के साथ प्रसारित किया जा रहा है कि वे वन-टाइम विकल्प प्रपत्र (Option Choices — वर्तमान राज्य कैडर, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा कैडर) अनिवार्य रूप से भरकर जमा करें। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय-कैडर, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा कैडर) अनिवार्य रूप से भरकर जमा करें। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय-कैडर, केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा कैडर) तक विकल्प प्रपत्र जमा करने में विफल रहता है, तो मुख्यालय की आवश्यकता एवं प्रशासनिक सुविधा के आधार पर उन्हें किसी भी केंद्रीकृत कैडर में नियुक्त कर दिया जाएगा।

In continuation to this office order No. B-53 dated 26.11.2025 regarding centralized cadres for Central Expenditure Audit (CEA) and Central Revenue Audit (CRA), Hqrs office has issued Frequently Asked Questions (FAQs) on the scheme of creation of CEA and CRA cadres vide Circular No. 45-StaffWing/2025 No.1141-Staff(Appt.III)/167-2025 dated 03.12.2025 which is being circulated with the direction to all Sr. AOs and AAOs of this office (including officers who are on deputation to other offices) to mandatorily submit One-time option form for Option Choices (Existing State Cadre, Central Expenditure Audit Cadre, Central Revenue Audit Cadre). If any employee fails to submit the option form within the stipulated timeline (05.12.2025, 11:59 PM), he/she shall be allotted any of the centralized cadres based on Headquarters' requirement and administrative convenience.

इस कार्यालय के प्रत्येक समूह/अनुभाग के नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने समूह/अनुभाग में पदस्थ सभी AAOs तथा SAOs द्वारा विकल्प प्रपत्रों की 100% जमा सुनिश्चित करें।

Controlling officers of every Group/Section of this office are hereby directed to ensure 100% submission of option forms by all AAOs and SAOs posted in their Group/Section.

E9-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-।)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), विहार, पटना का सचिवालय ।
- 2. सभी वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार का सचिवालय ।

3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ (Hqrs)-AMG-I/AMG-II/AMG-III/AMG-IV/AMG-V/सभी नियंत्री अनुभाग with the request toensure 100% submission of option forms by all AAOs and SAOs posted in their Group/Section

4. सभी सम्बंधित व्यक्ति।

5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (AMS) with the request to upload this on office website & Digital Notice Board. It is also requested to circulate this among all SAOs/AAOs (including who are on deputation to other offices) of this office on their official e-mail ID.

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन-।)

Digitally signed by Sudhir Kumar Date: 05-12-2025

12:26:21

दूरभाष /Phone - 2221941, 2223194, 2506283, 2223725, 2506091, 2223757